

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1550  
(11 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंजाब में मनरेगा

1550. श्री सुखबीर सिंह बादल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में पंजाब राज्य सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चूककर्ता सरकारी अधिकारियों और अवैध लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का देरी से कार्रवाई के इस मामले में कोई अन्य कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी, हां।

(ख) से (घ): मंत्रालय ने पंजाब में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन और जांच सहित उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। अतः, मंत्रालय ने उक्त समिति की जांच रिपोर्ट उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर धन की वसूली और प्रशासनिक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की गई है।

\*\*\*\*\*